कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक द्वितीय अजमेर

कमांकःजिशिअ/मा–II/अज/लेखा–2/आरटीई /फा–203/83 दिनांक 16/5/18

अति–आवश्यक
व्यक्तिगत ध्यान देवे

समस्त सचिव/संस्था प्रधान
निजी विघालय राउमावि/मावि/
बालिका

विषय–गैर सरकारी विद्यालयो को गत सत्रो में निश्चित समयावधि हेतु दी गई मान्यता को स्थाई किये जाने संबंध में ।

प्रसंग–राज्य सरकारी के पत्र कमांक –12(06) शिक्षा–5/आरटीई दिशा निर्देश/2014पार्ट जयपुर दिनांक 5.6.18 एवं जिलाशिक्षा अधिकारी प्राशि शिक्षा के पत्रांक573दि015.5.18

उपरोक्त विषय एवं प्रसंग के तहत आपको निर्देशित किया जाता है कि आपको पूर्व सत्रो में आरटीई अन्तर्गत आरटीई मान्यता निश्चित समयावधि के लिए प्रदान की गई थी के संबंध में आप द्वारा 100 रू0 के शपथ पत्र (निर्धारित संलग्न प्रारूप) में मय विभाग द्वारा जारी मान्यता आदेश की छायाप्रति प्रति के निम्न प्रारूप के साथ इस कार्यालय में दिनांक 20.5.18 तक आरटीई शाखा में अनिवार्य रूप से जमा करावे ताकि कार्यालय स्तर पर **स्थाई मान्यता प्रदान करने कि आवश्यक कार्यवाही सम्पादित कि** जा सके । उक्त अवधि के पश्चात किसी भी विघालय का प्रार्थना पत्र कार्यालय स्तर पर स्वीकार नही किया जावेगा । **अतः इसे सर्वोच्च प्राथमिक्ता प्रदान करे इसके अभाव में आपका विद्यालय वचिंत रहता है तो समस्त उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा ।**

निर्धारित प्रारूप

क0सं0	मान्यता दिनांक	दिनांक	विद्याालय का नाम	मध्यम	स्तर	अवधि जिसके लिए मान्यता प्रदान की गई है
1	2	3	4	5	6	7

संलग्न–उपरोक्तानुसार

16/5/18
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक द्वितीय अजमेर

क्रमांक समसंख्यक
प्रतिलिपि–
1 निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर
2 उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा अजमेर मण्डल अजमेर
3 जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा अजमेर
4 निर्देशन पत्रावली

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक द्वितीय अजमेर

(राज्य सरकार के पत्र कमांक–12(06) शिक्षा–5/आरटीई दिशा निर्देश/2014 पार्ट जयपुर दिनांक 05.06.18 एवं निदेशक प्रा0शि0 राजस्थान,बीकानेर के पत्रांक–शिविरा/प्रारं/पीएसपी/मूल मान्यता/19654/18–19/87 दिनांक 24.04.18 की पालना मे जिन विद्यालयो को आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 18 व 19 के तहत गैर सरकारी विद्यालयो को गत सत्रों मे निश्चित समयावधि हेतु दी गई मान्यता को स्थाई किये जाने हेतु यह शपथ पत्र लिया जा रहा है) उक्त शपथ पत्र 100 रू0 के स्टाम्प पर दिया जाना है।

शपथ पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि संस्था का नाम .... जिला–अजमेर को कार्यालय जिशिअ प्राशि अजमेर के द्वारा आरटीई अन्तर्गत प्रावि/उप्रावि की मान्यता/कमौन्नति पत्रांक–........................ ....दिनांक .... के द्वारा जारी की गई है। विभाग द्वारा जारी मान्यता निश्चित समयावधि हेतु दी गई है। जिसे राज्य सरकार के पत्र कमांक–12(06) शिक्षा–5/आरटीई दिशा निर्देश/2014 पार्ट जयपुर दिनांक 05. 06.18 एवं निदेशक प्रा0शि0 राजस्थान,बीकानेर के पत्रांक–शिविरा/प्रारं/पीएसपी/मूल मान्यता/19654/18–19/87 दिनांक 24.04.18 की पालना मे स्थाई किया जाना है।

अतः संस्था ....यह शपथपूर्वक ब्यान करती है कि संस्था के द्वारा विभाग द्वारा जारी किये गये निर्देशो निचे वर्णितानुसार बिन्दु स0 01 20 की अक्षरशः पूर्ण पालना की जा रही है। यदि भविष्य मे इसके संबंध मे विभाग को कोई भी शिकायत अथवा विरोधाभास स्थिति प्राप्त होती है तो विभाग संस्था ....की मान्यता पुनः वापस लिये जाने के लिए स्वंतन्त्र है। संस्था के द्वारा इस संबंध मे किसी भी प्रकार का न्यायालयवाद/दावा प्रस्तुत नही किया जावेगा।

उक्त स्थाई मान्यता आदेश मे निम्नांकित वर्णित निम्नांकित शर्तो का पालना करने के लिए संस्था ....बाध्य है।

01 मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा–8 के पश्चात् मान्यता/संबंधन के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

02 विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।

03 विद्यालय कक्षा 1 में, उस कक्षा के बालकों की संख्या के...25...प्रतिशत तक आस–पड़ौस के कमजोर वर्गो और अलाभपद समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।

04 पैरा–3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए, विद्यालय को अधिनियम की धारा–12 (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

05 सोसायटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।

06 विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का प्रमाण न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा। यदि ऐसा प्रवेश जन्म स्थान, धर्म, जाति या प्रजाति या इनमें किसी एक उपलब्ध/निर्धारित आधार पर उत्तरवर्ती चाहा गया है।

07 विद्यालय सुनिश्चित करेगा कि :–

(i) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

(II) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।

(III) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीण्ज्ञ करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(IV) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम–23 के अधीन अधिकथित किए अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा।

(V) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों का समावेश किया जाना।

(VI) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु और यह कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

(VII) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्त्तव्यों का पालन करता है, और अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

08 विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकाधिक पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

09 विद्यालय अधिनियम की धारा–19 में अधिकथित, विद्यालय में उपलब्ध प्रसुविधाओं के

अनुपात में विद्यार्थियों का नामांकन करेगा।

10 विद्यालय अधिनियम की धारा–19 में यथानिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदन की गई प्रसुविधाऐं निम्नानुसार हैं :–
विद्यालय परिसर का क्षेत्र
कुल निर्मित क्षेत्र
क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल
कक्षा कमरों की संख्या
प्रधानाध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भंडार कक्ष
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय
पेयजल सुविधा
मिड–डे–मील पकाने के लिए रसोई, बाधा रहित पहुंच
अध्यापक पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धत

11 विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोइ गैर मान्यता प्राप्त कक्षाऐं नहीं चलाई जाएंगी।

12 विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

13 विद्यालय को राजस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अधीन पंजीकृत किसी सोसायटी द्वारा या राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

14 विद्यालय को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

15 विद्यालय के लेखाओं की चार्टड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा के आधार पर किया गया है व उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया किया गया है। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा)..अजमेर..... को संस्था के द्वारा भेजी जावेगी।

17 विद्यालय समय–समय पर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा)...अजमेर.....द्वारा जारी निर्देशो की पूर्ण पालना करेगा और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालना करेगा, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कायकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए गए है।

18 सोसायटी के पंजीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित कराया जाना सुनिश्चित करेगा।

19 संलग्न उपाबंध–III के अनुसार अन्य कोई शर्त।

20 राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था नियम 1993 एवं इसके संलग्न परिशिष्ठ 2 के साथ बोर्ड मान्यता संबंधित अध्याय 13,13 ए 13 बी के 01.09.2011 से प्रभावी विनियमों की पालना में समस्त भैतिक एवं वित्तिय शर्तो की पूर्ति कर ली गई है ।